28/3/25

फरियादी श्री सुनील वकील आदि उपस्थित। फरियादी प्रार्थना पत्र अधीन 9 सिविल 9 सपठित धारा 151 CPC अंतर्गत श्री सुनील वकील आदि की बहस सुनी। प्रकरण के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि आरोपीगण की सम्यक तामील है। वकील आरोपी को बहस हेतु न्यायालय समय से आमंत्रित किया गया। बावजूद वकील आरोपी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए, ऐसे में वकील आदि की बहस सुनी गयी। वकील आदि की बहस। प्रकरण के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीन 9 सिविल 9 सपठित धारा 151 CPC अन्तर्गत निपटाया जाता है। अतः वकील आदि का प्रार्थना पत्र 09 सिविल 09 सपठित धारा 151 CPC को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। फरियादी को नोटिस दिया कि वाद हेतु केसलॉ शुमार हेतु, दाखिल करावें। नियत अग्रिम तिथि 28/3/2025 को पूर्व न्यायालय में सूचना जारी।